

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
दूरभाष.2552646,2552878 फ़ैक्स 2552406
Email enc wrbpl@mp.nic.in

-0-

क्रमांक 3317001/51/2019 - 1457
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2019

- | | |
|--|---|
| 1 आयुक्त,
कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(33) | 8 मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग
होशंगाबाद(27) |
| 2 आयुक्त,
भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर
परियोजना,जल संसाधन
विभाग,रीवा(04) | 9 मुख्य अभियंता,
धसान केन कछार,जल संसाधन विभाग
सागर(05) |
| 3 मुख्य अभियंता,
चम्बल बेतवा कछार,
जल संसाधन विभाग,भोपाल(02) | 10 परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.राजगढ
{ब्यावरा}-465661} |
| 4 मुख्य अभियन्ता,
बैनगंगा कछार,जल संसाधन विभाग,
सिवनी(19) | 11 मुख्य अभियन्ता,
यमुना कछार,जल संसाधन विभाग,
ग्वालियर(26) |
| 5 मुख्य अभियन्ता,
गंगा कछार जल संसाधन विभाग,
रीवा(09) | 12 मुख्य अभियन्ता,
विद्युत यांत्रिकी,जल संसाधन विभाग
भोपाल(11) |
| 6 मुख्य अभियन्ता,
राजघाट नहर परियोजना जल
संसाधन विभाग,दतिया(17) | 13 मुख्य अभियन्ता,
ब्यूरो आफ डिजाईन(बोधी) भोपाल(31) |
| 7 मुख्य अभियन्ता,
नर्मदा ताप्ती कछार,जल संसाधन
विभाग, इन्दौर(03) | 14 वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग
भोपाल (01) |

विषय:- अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने बाबत ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ-भवन, भोपाल के परिपत्र
क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 दिनांक 04 जून,2019

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी आपके संरचनान्तर्गत कार्यरत शासकीय सेवक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग, भोपाल/अधीक्षण यंत्री, [प्रशासन] अथवा उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं, उनसे पूछे जाने पर ज्ञात होता है कि वगैर आपकी अथवा सक्षम अधिकारी के अनुमति से मुख्यालय से अनुपस्थित है, यह स्थिति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरित है, उक्त स्थिति से कई बार उच्च अधिकारियों के अप्रसन्नता का भी सामना करना पड़ जाता है, जो उचित नहीं है ।

2- चूंकि वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है । अतः कृपया अपने अधिस्थ शासकीय सेवकों को निर्देशित करें कि अगर भविष्य में कोई भी शासकीय सेवक बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ता है, तो अनुपस्थिति अवधि का वेतन की पात्रता नहीं होगी । साथ ही उक्त शासकीय सेवक जिस नियंत्रण-कर्ता अधिकारी के अधीन कार्यरत है, उसके विरुद्ध में भी एक तरफ कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।

3- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन हो सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही नियंत्रण कर्ता अधिकारी समय-समय पर समीक्षा करें कि उनके अधीन कार्यरत शासकीय सेवक नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित हो रहा है ।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल
[अमिताभ मिश्रा] 13/8/19
अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक 3317001/51/2019 11458
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2019

- 1- समस्त अधीक्षण यंत्री, {मण्डल}.....
- 2- समस्त कार्यपालन यंत्री, {संभाग}.....
- 3- वेब मैनेजर {EIMS} कार्यपालन यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर तत्काल विभाग की बैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।
- 4- सम्बन्धित पटल प्रभारी {कक्ष-331.....}
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

A. Mishra
[अमिताभ मिश्रा] 13/8/19
अधीक्षण यंत्री, (प्रशासन)